न्यायालय : द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0), देहरादून।

मूलवाद संख्या : 613/2022

श्रीमती सविता देवी आदि बनाम चुन्नी लाल

दिनांक : 10.08.2026

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता : श्री निर्देश खण्डेलवाल

प्रतिवादी की ओर से : सुश्री शिवानी गुप्ता

पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज वाद बिन्दु संख्या 3, 4 व 5 की सुनवायी हेतु नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। पक्षकार अधिवक्तागण को वाद बिन्दु संख्या–3, 4 व 5 पर सुना गया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0–3

2. वाद बिन्दु संख्या–3 इस आशय से विरचित किया गया है कि **क्या वादी द्वारा वाद का अल्प मूल्यांकन किया गया है?**

3. उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों पर विरचित किया गया है, जिस कारण उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है।

4. प्रतिवादी की ओर से अपने प्रतिवादपत्र का0सं0 28ए1 में कथन किया गया है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है।

5. वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि वादीगण ने वाद का मूल्यांकन रू0 2,00,000/–पर किया है।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद योजित किया है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र की चरण सं0–13 में वाद का मूल्यांकन मु0 2,00,000/–रू0 पर किया जाना दर्शाया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किये जाने का कथन किया गया है किन्तु अपने अभिवचनों के समर्थन में ऐसा कोई तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादीगण द्वारा किस प्रकार वाद का मूल्यांकन कम किया गया है।

7. अतः वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन सही किया गया है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या–3 का निस्तारण वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के

विरूद्ध किया जाता है।

(नेहा कय्यूम)
द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0),
देहरादून।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–4</u>

8. वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादी द्वारा अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?**

9. उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों पर विरचित किया गया है, जिस कारण उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है।

10. प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र का0सं0 28ए1 में कथन किया गया है कि वादी द्वारा नियमानुसार न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है।

11. इसके विपरीत वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा वर्तमान वाद स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है तथा वादीगण द्वारा अधिकतम न्याय शुल्क अदा किया गया है।

12. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

13. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है, जिस बाबत वादी द्वारा अधिकतम न्यायालय शुल्क मु0 500/–रूपये अदा किया गया है, जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से वादीगण द्वारा समुचित न्यायालय शुल्क अदा न किये जाने का कथन किया गया है किन्तु अपने अभिवचनों के समर्थन में ऐसा कोई तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादीगण द्वारा समुचित न्यायालय शुल्क अदा न किया गया हो।

14. अतः वादीगण द्वारा देय न्यायालय शुल्क न्यायालय के मत में पर्याप्त है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या–4 का निस्तारण वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

(नेहा कय्यूम)
द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0),
देहरादून।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–5</u>

15. वाद बिन्दु संख्या–5 इस आशय से विरचित किया गया है कि **क्या**

न्यायालय को वर्तमान वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?

16. उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों पर विरचित किया गया है, जिस कारण उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है।

17. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि इस न्यायालय को वर्तमान वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

18. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवादित सम्पत्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है, जिस कारण न्यायालय को वर्तमान वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

19. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

20. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष याचित किया गया है, जो इस न्यायालय द्वारा अनुदत्त किया जा सकता है। वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन मु0 2,00,000/– पर किया गया है, जो इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत आता है। वादीगण द्वारा वादकारण देहरादून में होना दर्शित किया है जो इस न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत है। अतः प्रतिवादी की आपत्ति बलहीन प्रकट होती है कि इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी अपने उक्त अभिकथनों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

21. ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के दृष्टिगत वर्तमान मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या–4 का निस्तारण वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

22. पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 07.09.2026 को पेश हो।

(नेहा कय्यूम)
द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0),
देहरादून।